अधिसूचना सं0 8/2015- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी) नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सा.का.नि. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये 1 मार्च, 2015 से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 के उपनियम (4) में "और उपनियम (3) के अधीन ब्याज" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "और इन नियमों के अधीन फाइल की गई विवरणी में उल्लिखित, उपनियम (3) के अधीन ब्याज और उपनियम (3क) के अधीन शास्ति" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 10 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

> "(4) इस नियम के अधीन अभिलेख इलैक्ट्रानिक रूप में परिरक्षित रखा जाएगा और इस प्रकार परिरक्षित अभिलेख का प्रत्येक पृष्ठ को अंकीय हस्ताक्षर के माध्यम से अधिप्रमाणित किया जाएगा ।
>
> (5) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, किसी निर्धारिती द्वारा अंकीय रूप से हस्ताक्षरित अभिलेख परिरक्षित करने के लिए अनुसरण की जाने वाली शर्तें, रक्षोपाय और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

4. उक्त नियमों के नियम 11 में,--

(क) उपनियम (2) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परन्तु यह और कि यदि माल किसी जॉब कर्मकार को किसी विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता के निदेश पर सीधे भेजा जाता है तो बीजक में यथास्थिति, विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता के ब्यौरे भी क्रेता के रूप में अन्तर्विष्ट होंगे और जॉब कर्मकार के ब्यौरे परेषिती के रूप अन्तर्विष्ट होंगे :

परन्तु यह भी कि यदि माल रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के निदेश पर किसी व्यक्ति को सीधे भेजा जाता है तो बीजक में रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के ब्यौरे भी क्रेता के रूप में और उस व्यक्ति के ब्यौरे परेषिती के रूप में अन्तर्विष्ट होंगे और वह व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के बीजक के आधार पर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लेगा:

परन्तु यह भी कि यदि किसी प्रवेशपत्र के अधीन आयातित माल क्रेता के परिसर में सीधे भेजा जाता है तो आयातकर्ता द्वारा जारी बीजक में यह उल्लेख होगा कि माल आयात के स्थान या पत्तन से सीधे क्रेता के परिसर में भेजा गया है;"

(ख) उपनियम (7) में "द्वारा प्रदाय किया गया माल" शब्दों के पश्चात् "ऐसा आयातकर्ता जो ऐसा बीजक जारी करता है जिसपर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लिया जा सकता है, या" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(8) किसी विनिर्माता द्वारा इस नियम के अधीन जारी किया गया बीजक अंकीय हस्ताक्षर के माध्यम से अधिप्रमाणित किया जा सकेगा :

परन्तु जहां परिवहनकर्ता के लिए अभिप्रेत बीजक की दूसरी प्रति अंकीय रूप से हस्ताक्षरित है वहां परिवहनकर्ता के लिए अभिप्रेत बीजक की दूसरी प्रति की हार्ड प्रति और विनिर्माता द्वारा स्वतः प्रमाणित प्रति का प्रयोग माल के परिवहन के लिए किया जाएगा ।

(9) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, किसी निर्धारिती द्वारा अंकीय रूप से हस्ताक्षरित बीजक का उपयोग करने के लिए अनुसरण की जाने वाली शर्तें, रक्षोपाय और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—नियम 10 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए "अधिप्रमाणित," "अंकीय हस्ताक्षर" और "इलैक्ट्रानिक रूप" अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में क्रमशः उनके है ।"

5. उक्त नियमों के नियम 12 में, उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(6) जहां इस नियम में निर्दिष्ट कोई विवरणी या वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण या वार्षिक प्रतिष्ठापित क्षमता विवरण निर्धारिती द्वारा प्रत्येक विवरणी या विवरण के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है वहां निर्धारिती ऐसी प्रत्येक विवरणी या विवरण के प्रस्तुत करने में हुए विलंब की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार के खाते में अधिकतम बीस हजार रुपए के अधीन रहते हुए प्रति दिन एक सौ रुपए की दर पर संगणित रकम जमा करेगा ।"

6. उक्त नियमों के नियम 12गगग में,--

(क) "निर्माता" शब्द के पश्चात् "रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "रजिस्ट्रीकरण के निलंबन की दशा में" शब्दों के पश्चात् "कोई आयातकर्ता या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

7. उक्त नियमों के नियम 17 में उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(6) जहां निर्धारिती द्वारा उपनियम (3) के अधीन विवरणी उक्त नियम में उल्लिखित नियत तारीख के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है वहां निर्धारिती प्रत्येक विवरणी के प्रस्तुत करने में हुए विलंब की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार के खाते में अधिकतम बीस हजार रुपए के अधीन रहते हुए प्रति दिन एक सौ रुपए की दर पर संगणित रकम जमा करेगा ।"

8. उक्त नियमों के नियम 18 में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "निर्यात" शब्द से उसके व्याकरणिक रूप भेद और सजातीय पद सहित माल को भारत से भारत के बाहर किसी स्थान

पर ले जाना अभिप्रेत है और उसमें माल का विदेशी पत्तन की ओर जाने वाले किसी पोत के फलक पर उपयोग के लिए या विदेश जाने वाले वायुयान को प्रदत्त रसद या भंडार का लदान शामिल है ।"

9. उक्त नियमों के नियम 22 में, उपनियम (2) और उपनियम (3) में "प्रत्येक निर्धारिती" शब्दों के पश्चात् "ऐसा आयातकर्ता जो ऐसा बीजक जारी करता है जिसपर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लिया जा सकता है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

10. उक्त नियमों के नियम 25 के उपनियम (1) में,--

(क) "भांडागार का रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "या ऐसा आयातकर्ता जो ऐसा बीजक जारी करता है जिसपर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लिया जा सकता है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) पूरी पंक्ति में,--

(i) "भांडागार का रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "या ऐसा आयातकर्ता जो ऐसा बीजक जारी करता है जिसपर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लिया जा सकता है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं0 04/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 143(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 19/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) तारीख 11 जूलाई, 2014 द्वारा, जो सं. सा.का.नि. 454(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।